न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00269 (54/2013) 75 एलआरएक्ट

1. कृष्ण कुमार
2. रामकुमार
3. कालूराम
4. हनुमान

श्री देवीलाल जाति जाट निवासीगण कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

– अपीलाण्ट

बनाम

5. मदनलाल पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी
6. धनपत पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी

विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.09.2012 उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 51/2009

श्री रामस्वरूप नांदेवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

निर्णय दिनांक:– 04.06.2019

1. रेस्पोडेण्ट प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राज. उप. अधिनियम 1954 (सामान्य शर्तें 1954) विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर चक 13 के.एम.के. पत्थर नम्बर 206/418 के किला नं. 21, 22 के दक्षिणी सींव पर पश्चिम से पूर्व एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने स्वीकार न कर इसी पत्थर नम्बर के किला नं. 19/1 व 20/1 के उत्तर तरफ पूर्व से पिश्चम लम्बा एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया व स्वीकृत रास्तें के बदले में किला नं. 18 व 23 में 1–1 बिस्वा भूमि दिये जाने का आदेश दिया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता स्वीकृति से पूर्व कोई रिपोर्ट नहीं ली। वैकल्पिक रास्ता होने अथवा नही होने बाबत भी कोई जांच नहीं की। रेस्पोडेण्ट के द्वारा चाहे गये रास्ते से भिन्न रास्ता दिये जाने का आदेश बिना किसी आधार के पारित किया है। किला नं. 3 के सामने खाले पर पुली बनी हुई है। जिससे रास्ता दिया जाना उचित थां। यह रास्ता स्वीकृत करने से मात्र 1 बीघा भूमि में ही रास्ता स्वीकृत होता। प्रश्नगत रास्ता कायम रहने से अपीलाण्ट की भूमि टुकड़ों में विभक्त होती है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने यह अपील 1 वर्ष बाद मियाद गुजरने के बाद प्रस्तुत की है। देरी का कोई उचित कारण नही बताया है। मौके पर अपीलाधीन निर्णय सें मंजूरशुदा रास्ता चल रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांण्ट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत ही नहीं की इसलिए अंपील मियाद बाहर होने एवं गुणागवुण पर भी खारिज योग्य है जो खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र का खण्डन रेस्पोडेण्ट के द्वारा जरिये जवाब एवं काउण्टर शपथ–पत्र नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्त द्वारा सूचित नहीं किये जाने के कारण अपील प्रस्तुति में देरी का कारण दर्शित किया है जिस पर विश्वास न किये जाने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। अपील प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने से आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुति में हुई देरी कन्डोन की जाती है। अपील भीतर मियाद शुमार की जाती है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पत्थर नं. 206/418 के किला नं. 21, 22 के दक्षिणी तरफ रास्ता स्वीकृति हेतु अनुतोष चाहा गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इन किलाजात में शीशम के पेड़ खेड़े होने का रेस्पोडेण्ट के कथन को मानते हुए किला नं. 19, 20 में से रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की भूमि को वैकल्पिक रास्ता होने की उपलब्धता के बाबत कोई जांच नहीं की है और ना ही रिपोर्ट तहसील रास्ता संबंधी पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलाण्ट के यह कथन भी आये हैं किला नं. 3 में से रास्ता स्वीकृत करने पर मात्र 1 किला भूमि में से ही 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना पड़ेगा जबकि वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय में दो किलों से रास्ता स्वीकृत किया है जिसमें दो बिस्वा भूमि रास्ता में जाएगी। परन्तु उक्त समस्त तथ्य रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त होने पर ही तय किया जा सकता है। पूर्व में रेस्पोडेण्ट संख्या एक की भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता होना प्रतीत नहीं होता है एवं एक काश्तकार को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है। चूंकि वर्तमान में रास्ता बाबत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता स्वीकृति हेतु प्रावधान किए गये हैं परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का आवेदन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम सामान्य शर्त 8 (2) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अब उपनिवेशन अधिनियम में किसी काश्तकार को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृति के 251 क के तहत प्रावधान किये जाने के कारण विचारण न्यायालय रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के आवेदन कों 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मानते हुए उसमें दिये प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवांई का समुचित अवसर प्रदान करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुए निर्णय प्रसारित करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जानी उचित समझते है। अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय 03.09.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के आवेदन को 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मानते हुए उसमें दिये प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय प्रसारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2019 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

04/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official